रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 16 जुलाई, 1991/25 आषाढ़, 1913

हिमाचल प्रदेश सरकार

तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 जुलाई, 1991

सं० एस० टी० वी० (टी० ई०) बी (2) 4/85-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में रु० 1640—2925 के वेतनमान में मनोविज्ञानी एवं पुनर्वास अधिकारी (वर्ग-3 अराजपत्रित) पद के इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध "I" के अनुसार भर्ती और पदोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, मनोवैज्ञानिक एवं पुनर्वास अधिकारी (वर्ग-3 अराजपत्रित) पद भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 1991 है ।

(2) ये नियम, राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

उपाबन्ध "I"

तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हिमाचल प्रदेश में मनोवैज्ञानिक एवं पुनर्वास अधिकारी के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1.	पद का नाम	मनोविज्ञानी पुनर्वास अधिकारी
2.	पदों की संख्या	1 (एक)
3.	वर्गीकरण	वर्ग-3 (अराजपत्रित)
4.	वेतनमान	रु0 1640—2925 (संशोधित) रु0 750—1350) (पूर्व संशोधित)
5.	चयन पद अथवा अचयन पद	लागू नहीं ।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु	18 से 32 वर्ष :

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा तदर्थ या संविदा पर नियुक्ति सहित, पहले ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक्य हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में उतना ही शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में अमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारी-वृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्-वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों क प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

टिप्पणी-1.—सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिन से की जाएगी, जिसमें आवेदन आमन्त्रित करने के लिए पद विज्ञापित या नियोजनालयों को अधिसूचित किए जाते हैं ।

	टिप्पणी-2.—अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
	अनिवार्य :
7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं ।	शारीरिक रूप से विकलांगों के पुनर्वास सम्बंधी सामाजिक कार्य या व्यावसायिक मार्ग दर्शन में से कम से कम 1 वर्ष के अनुभव सहित, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मनोविज्ञान/समाज-विज्ञान/सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर की उपाधि या इसके समतुल्य ।
	या
	शारीरिक रूप से विकलांगों के पुनर्वास सम्बंधी सामाजिक कार्य या व्यावसायिक मार्ग दर्शन में कम से कम 2 वर्ष के अनुभव सहित, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कला स्नातक/विज्ञान स्नातक या इसके समतुल्य ।
	वांछनीय अर्हताएं :
	हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोली का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विलक्षण दशा में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं, प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	लागू नहीं ।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।
10. भर्ती की पद्धति —भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	सीधी भर्ती द्वारा ।
11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण की दशा में श्रेणियों जिसमें प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा।	लागू नहीं ।
	टिप्पणी.—जब कभी नियम 2 के अनुसार पदों में बढ़ोतरी होती है तो नियम 10 और 11 के उपबन्ध सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के परामर्श से पुनरीक्षित किए जाएंगे ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना ।	लागू नहीं ।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है ।

14. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षा ।

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित अवश्य होना चाहिए :—

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास के लिए आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जिसने पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका के देशों या कीनिया, युगांडा, यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पहले तन्गानिका और जंजीबार), जांबिया, मालावी, जेयरे और इथोपिया से भारत में स्थायी निवास के आशय से प्रवास किया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया हो। ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकेगा किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का अपेक्षित प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही दिया जाएगा ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन ।

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है तो यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों में या इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को, किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

आदेश द्वारा,

देव स्वरूप,
आयुक्त एवं सचिव ।

[*Authoritative English text of this Department notification No. STV(TE)B(2)4/85-II, dated* 2-7-1991 *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, *the 2nd July*, 1991

No. STV(TE)B(2)4/85-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the Post of Psychologist-*cum*-Rehablitation Officer (Class-III Non-Gazetted) in the pay scale of Rs. 1640—2925, in the Department of Technical Education, Vocational and Industrial Training, as per Annexure-I, attached to this notification, namely:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational and Industrial Training Department, Psychologist-*cum*-Rehabilitation Officer (Class-III Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1991.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in H.P. Rajpatra.

ANNEXURE "I"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PSYCHOLOGIST-*CUM*-REHABILITATION OFFICER IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL AND INDUSTRIAL TRAINING HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT

1. Name of the post	Psychologist-*cum*-Rehabilitation Officer
2. Number of posts	1 (One)
3. Classification	Class-III (Non-Gazetted)
4. Scale of pay	Rs. 1640—2925
5. Whether selection post or non-selection post.	Not applicable
6. Age for direct recruitment	Between 18 and 32 years: Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad hoc* or on contract basis: Provided further that if a candidate appointed on *adhoc* basis and become overage on the date when he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad hoc* or on contract appointment: Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special orders of the Himachal Pradesh Government :

	Provided further that the employees of all the public sector corporations and autonomous bodies who happened to be Govt. servants before absorption in the public sector corporations/ autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporations/autonomous bodies, shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporations/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporations/ autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such corporations/autonomous bodies after initial constitution of the public sector corporations/autonomous bodies. *Note*-1.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the posts are advertised for inviting applications or notified to the employment exchanges, as the case may be. *Note* 2.—Age and experience in the case of direct recruitment are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case of the candidates otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruitment.	*Essential*: Post-Graduate Degree in Psychology/ Sociology/Social Work or its equivalent from a recognised University or an Institute recognised by the H. P. Govt. with atleast one year experience in Social Work or Vocational Guidance in connection with the Rehabilitation of the Physically Handicapped. OR Bachelor's Degree in Arts/Science or its equivalent from a recognised University or an Institution recognised by the H.P. Govt. with atleast two years experience in Social Work or Vocational Guidance in connection with the Rehabilitation of the Physically Handicapped. *Desirable qualifications:* Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.

9.	Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.	By direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.	Not applicable.
		Note —Provisions of Rules 10 & 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under Rule 2 are increased.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Not applicable.
13.	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	As required under the law.
14.	Essential requirement for direct recruit	A candidate for appointment to any service or post must be:— (*a*) a citizen of India; or (*b*) a subject of Nepal; or (*c*) a subject of Bhutan; or (*d*) a Tibetan refugee, who crossed over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or (*e*) a person of Indian origin, who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India: Provided that a candidate belonging to categories (*b*), (*c*), (*d*) and (*e*) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted

	by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva-voce* test; and if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or a practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.
16. Reservation	The appointment to this service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Power to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessery or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

By order,
DEV SWARUP,
Commissioner-cum-Secretary.

लोक सम्पर्क विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-171002, 9 जुलाई, 1991

संख्या : पत्र-ए0(4)-2/85-I.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-3-90 का अधिक्रमण करते हुए, विकासात्मक पत्रकारिता के लिए पत्रकारों को सम्मान देने हेतु वर्ष 1989-90 के लिए एक छानवीन समिति के गठन को सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों को मनोनीत किया जाता है :—

1. सचिव (लोक सम्पर्क), हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. निदेशक, लोक सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश, शिमला।

3. श्री विजय सहगल, सम्पादक, दैनिक ट्रिब्यून, चण्डीगढ़ ।

उक्त समिति हिमाचल प्रदेश के विकास से सम्बन्धित पत्रकारों द्वारा छापे गए लेखों की छानबीन करके निर्णायक मण्डल को भेजेगी ।

गैर-सरकारी सदस्य के आने-जाने तथा दैनिक भत्ता दिए जाने बारे में अधिसूचनाएं बाद में जारी की जाएंगी ।

शिमला-171002, 9 जुलाई, 1991

संख्या : पब-ए0(4)-2/85-I.---राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-3-90 का अधिक्रमण करते हुए, विकासात्मक पत्रकारिता के लिए पत्रकारों को सम्मान देने हेतु वर्ष 1989-90 के लिए एक निर्णायक मण्डल के गठन को सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किए जाते हैं :—

1. श्री विजय कुमार, पंजाब केसरी ।
2. श्री प्रेम कुमार, सम्पादक, इंडियन ऐक्सप्रैस, चण्डीगढ़ ।
3. श्री डी0 पी0 कुमार, सम्पादक, स्टेटसमैन, नई दिल्ली ।

उक्त मण्डल हिमाचल प्रदेश के विकास से सम्बन्धित पिछले वर्ष में छापे गए लेखों पर पत्रकारों को सम्मान के लिए चुनेगा ।

गैर-सरकारी सदस्य के आने-जाने तथा दैनिक भत्ता देने बारे अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी

आदेश द्वारा,

के0 सी0 शर्मा,
आयुक्त एवं सचिव ।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 9 जुलाई, 1991

सं0 पी सी एच-एच-ए-5/35/89—क्योंकि श्री कन्हैया लाल, प्रधान, ग्राम पंचायत गौड़ा गागल, विकास खंण्ड मण्डी सदर, जिला मण्डी के विरुद्ध श्रीमती रेवती देवी पत्नी श्री किशोरी लाल, निवासी ग्राम रझियूं द्वारा दिनांक 20-6-89 को थाना बल्ह (रती), जिला मण्डी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाये जाने और पुलिस द्वारा रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त प्रधान के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341 एवं 354 के अधीन मामला दर्ज कर जांच के दौरान प्रधान को गिरफ्तार करने के आधार पर उपायुक्त, मण्डी ने प्रधान को पद से निलम्बित कर दिया था;

क्योंकि जहां वह नैतिक पतन के उपरोक्त कथित मामले में संलिप्त पाये गये हैं वहां उन्होंने प्रधान के पद की गरिमा को गिराया था;

और क्योंकि प्रधान को उक्त फौजदारी मामले में न्यायिक दण्डाधिकारी, मण्डी ने रिहा/दोष मुक्त कर दिया था जिसके फलस्वरूप उपायुक्त, मण्डी ने अपने कार्यालय आदेश सं0 डैव/9 -30736-41, दिनांक 16-6-90 द्वारा प्रधान के विरुद्ध पारित अपने पूर्व आदेश 7-3-90 को समाप्त कर दिया था ;

और क्योंकि जहां किसी उपायुक्त को उन द्वारा पारित किसी ग्राम पचायत के पंच, प्रधान, और उप-प्रधान के विरुद्ध निलम्बन आदेश को वापिस लेने का अधिकार नहीं है और वहां उपरोक्त प्रधान के विरुद्ध कोई अन्य मामला न है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1938 की धारा 54(4) के अन्तर्गत उन्हें प्राप्त शक्तियों के उपयोग में प्रधान श्री कन्हया लाल के विरुद्ध उपायुक्त, मण्डी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-6-90 को रद्द करते हैं वहां उन्हीं द्वारा प्रधान के विरुद्ध पारित निलम्बन आदेश दिनांक 7-3-90 को भी रद्द करते हैं ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।